न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 82/2005 रा.वा.
जी.सी.एम.एस.नम्बर—2005/00002

उनवान

1. श्रीमति रतनी पत्नी तेजी मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी—फौत।
2. कु धन्ना पिता तेजी मीणा उम्र 10 वर्ष निवासी खोलडी—फौत।
3. कु प्रकाश पिता तेजी मीणा उम्र 7 वर्ष निवासी खोलडी।
4. कु रामलाल पिता तेजी मीणा उम्र 4 वर्ष निवासी खोलडी

तीनो नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति रतनी पत्नी तेजी मीणा निवासी खोलडी तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज)

—वादीगण

बनाम

1. श्री पेमा पिता मेगाजी मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
2. श्री शकर पिता मेगाजी मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
3. श्री गोता पिता मेगा मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
4. श्री धुला पिता मेगा मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
5. श्री पूजा पिता वेला मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
6. श्री नाना पिता रोडा मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
7. श्री खेमा पिता रोडा मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
8. श्री डुगा पिता रोडा मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
9. श्रीमति कहुआ फ्त्नी रौडा मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
10. श्री भैरा पिता धुलाजी मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
11. श्रीमति केसरी पत्नी धुलाजी मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
12. श्री पस्था पिता नाथु मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
13. श्री नारा पिता नाथु मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
14. श्री भीमा पिता वेला मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
15. श्री वाला पिता वेलाजी मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
16. श्री शंकर पिता वेलाजी मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी
17. श्रीमति गंगाबाई पत्नी वेलाजी मीणा उम्र बालीग निवासी खोलडी तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर (राज)
18. श्रीमान् तहसीलदार साहब भूमिधारी तहसील हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः— 15/04/26

उपस्थितः— श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता —वादी संख्या 2, 4
प्रतिवादीगण—एक पक्षीय

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादीगण ने वाद बाबत् पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–11–2012 द्वारा प्रकरण मे मौजा खोलडी की जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 के नए खाता संख्या 193 एवं पुरानी खाता संख्या 109 के कुल किता 73 रकबा 13.88 हैक्टेयर भूमि के खातेदारो के मध्य हिस्से अनुसार बंटवाडे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रकरण मे तहसीलदार सलूम्बर के पत्रांक एस.पी. 5 दिनांक 13–07–2015 द्वारा रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि वादी संख्या 1 रतनी एवं वादी संख्या 2 धन्ना की मृत्यु हो चुकी है तथा अन्य दो वादी नाबालिग है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 13–07–2015 को अवलोकन वादी अधिवक्ता को कराया गया एवं आदेशिका दिनांक 01–06–2016 को नाबालिग वादी संख्या 3, 4 के न्यायमित्र अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता को नियुक्त किया गया। तहसीलदार झल्लारा के पत्रांक 688 दिनांक 04–11–2025 से रिपोर्ट का अवलोकन अधिवक्ता वादीगण को कराया गया। तहसीलदार ने रिपोर्ट दिनांक 04–11–2025 में अंकित किया कि उपस्थित पक्षकारो द्वारा बताया गया कि वे वाद वापस लेना चाहते है। उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न उपस्थित पक्षकारो ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि हम वादी एवं प्रतिवादीगण स्वेच्छा से वाद वापस लेना चाहते है तथा वाद मे कोई कार्यवाही नही चाहते है।

प्रकरण मे दिनांक 31–10–2025 को प्रकाश पिता तेजी मीणा निवासी खोलडी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौता हो चुका है तथा समझौतानुसार सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त वाद मे हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण जिस जिस हिस्से एवं आराजी पर बैठे हुऐ है उसी अनुसार हम सभी पक्षकारों के मध्य मौके अनुसार बंटवाडा कर दिये जाने मे कोई आपत्ति नही है एवं उसी अनुसार मौके पर जांच कर उन्ही नम्बरों के खाते अलग–अलग कर दिये जाने को सहमत है।

तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 04–11–2025 का अवलोकन अधिवक्ता वादीगण को कराया गया। रिपोर्ट दिनांक 04–11–2025 तथा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 3 प्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादीगण को सुना गया।

वादी संख्या 1, 2 की मृत्यु की सूचना के उपरान्त भी वादी अधिवक्ता ने प्रकरण मे मृतक के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नही की है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 04–11–2025 के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र मे पक्षकारो ने प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाहने एवं वाद स्वेच्छा से वापस लेना जाहिर किया है तथा स्वयं वादी प्रकाश ने अपने प्रार्थना पत्र मे की क्रम संख्या 2 मे अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वापसी राजीनाम हो चुका है एवं सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी प्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वादी संख्या 3, 4 की पहचान अधिवक्ता परमानन्द मेहता द्वारा की गई है लेकिन अन्य पक्षकार जिन्हे प्रतिवादी बताया है वे कोन लोग है यह स्पष्ट नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समस्त पक्षकारों की स्पष्ट एवं प्रमाणिक पहचान नहीं है। केवल प्रार्थी प्रकाश द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर संपूर्ण समझौते को विश्वसनीय एवं विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

अतः वादीगण को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि वादी क्रमांक 1 एवं 2 के निधन उपरांत भी उनके विधिक वारिसान को अभिलेख पर प्रतिस्थापित नहीं किया गया, जो कि विधि विरुद्ध है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उनवान–मृतक रतनी के बजाय प्रकाश बनाम पेमा

प्रस्तुत समझौता/राजीनामा पत्र में समस्त पक्षकारों की स्पष्ट, प्रमाणिक एवं सत्यापित पहचान का अभाव है। प्रार्थी प्रकाश द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर समस्त पक्षकारों की सहमति का प्रामाणिक एवं विधिसम्मत होना सिद्ध नहीं होता।

–::आदेश::–

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, तहसीलदार, झल्लारा की रिपोर्ट दिनांक 04.11.2025 तथा संलग्न प्रार्थना पत्रों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वाद में विधिसम्मत कार्यवाही का अभाव है।

फलस्वरूप, वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा कराना चाहते हैं, तो वे सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार, झल्लारा) के समक्ष पृथक आवेदन प्रस्तुत कर विधि अनुसार बंटवारा कराने हेतु स्वतंत्र होंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय दिनांक 15/04/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलेक्टर जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर